"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2015/1/5.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा वर्ष 2016 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 (1881 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में क्रमांक 14 पर एवं सामान्य अवकाश की सूची (अ) में क्रमांक 18 पर "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" हेतु मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 को अवकाश घोषित किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. भारत सरकार के आदेश क्रमांक F 12/18/2016-JCA2 दि. 07-12-16 के द्वारा ''ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)'' के पर्व हेतु दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को अवकाश की घोषणा की गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर सोमवार दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को ''ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)'' पर्व के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012.—छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 3 के खण्ड (ज) सहपठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 के खण्ड (34-क) के तहत परिभाषित ''एकीकृत उपनगर'' के विकास के प्रयोजन हेतु ''धारित भूमि'' को, छत्तीसगढ़ कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत छूट प्रदान करने संबंधी प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु, उक्त अधिनियम के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4802-एफ-1-4-94-सात-2ए दिनांक 02-12-1994 के पैरा 3 के खण्ड (3) अनुसार गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति के स्थान पर, संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 4-108/सात-1/2012 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के अनुक्रम में निम्नांकित 06 माननीय मंत्रीगणों की मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाता है :—

(1) प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग
(2) प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग
(3) प्रभारी मंत्री, वन विभाग
(4) प्रभारी मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग
(5) प्रभारी मंत्री, ग्रामीण उद्योग विभाग
(6) प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग

राजस्व विभाग का प्रभारी सचिव, समिति का सचिव होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार नया रायपुर, दिनांक 26-05-2014 द्वारा पुनर्गठित पेंशनर कल्याण मण्डल के मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल में राज्य शासन एतद्द्वारा 02 वर्ष की वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-3/दो/आठ-परि./2002.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 10229/2973/XXU-B/C.G./15 दिनांक 24-10-2016 द्वारा श्री राधाकृष्णन अग्रवाल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर की सेवायें परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री राधाकृष्णन अग्रवाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तनुजा सलाम, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-6/2016/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16-11-2016 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित उप अभियंता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100/-+ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में पदोन्नत किया जाता है तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उन्हें स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनीष कुमार रामटेके उप अभियंता	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-रायपुर (छ.ग.)
2.	श्रीमती कौशल्या भगत उप अभियंता	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-रायगढ़ (छ.ग.)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला कबीरधाम के पाण्डातराई निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में सदस्य मनोनित किया जाता है :—

कर्मचारियों के प्रतिनिधि :—

(1)	श्री पी. एल. चंद्राकर	—	कोरबा
(2)	श्री राजेश साहू	—	पटना, जिला कोरिया
(3)	श्री कमल बोस	—	ग्राम-चंदनियापारा, जिला-जांजगीर-चांपा
(4)	श्री बलीराम साण्डेय	—	ग्राम-पुरगांव, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार
(5)	श्रीमती परमिला देवांगन	—	ग्राम नगपुरा, जिला-दुर्ग
(6)	श्री मनोज दुबे	—	बिलासपुर

स्वतंत्र सदस्य :—

(1)	श्री आर. सी. नाहर	—	जिला दंतेवाड़ा
(2)	श्री अशोक पाण्डेय	—	रायपुर
(3)	श्री गोपाल साहू	—	पण्डरिया, जिला कबीरधाम
(4)	श्री ओंकार प्रसाद वर्मा	—	भिलाई
(5)	श्री लखनलाल गुरूपंच	—	मु.पु. पलारी, वि.खं.-गुरूर, जिला-बालोद
(6)	श्रीमती ऋतु शर्मा सिंह	—	रायपुर
(7)	श्री रूपनारायण सिन्हा	—	ग्राम-कम्हली (पाटन) जिला-दुर्ग

2. उक्त समिति छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 4 के उपधारा (3) के खण्ड "ख" एवं "ग" के अधीन नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन की तारीख से 03 वर्ष तक प्रभावशील होगी. उक्त अवधि समाप्त होने पर आदेश स्वत: समाप्त माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-13/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 18 (3) सहपठित नियम, 2008 के नियम 251 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण

मंडल में सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

भवन कर्मकारों के प्रतिनिधि :—

(1)	श्री योगेश दत्त मिश्रा	—	राजनांदगांव
(2)	श्री प्रेमकान्त झा	—	चिरमिरी, जिला कोरिया
(3)	श्री अशोक सिंह	—	विश्रामपुर, जिला सरगुजा
(4)	श्री के. पी. सुर्यवंशी	—	ग्राम बाईकटोरी, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव
(5)	श्रीमती दयाबती देवांगन	—	जगदलपुर

भवन कर्मकारों के नियोजकों के प्रतिनिधि :—

(1)	श्री तेजसिंह म्हस्के	—	रायपुर
(2)	श्रीमती स्वप्निल मिश्रा	—	रायपुर
(3)	डॉ. निमई विस्वास	—	माना केम्प, रायपुर
(4)	श्री सुनील ठाकुर	—	ग्राम व पो.-मुरीद भिलाई-3, जिला-दुर्ग
(5)	श्री बीरबल गुप्ता	—	ग्रा.वि.ख.-पुसोद, जिला-रायगढ़

नोट :—

1. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 (दो) में वर्णित एक सदस्य जिसका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है, का नाम केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जावेगा.

2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 252 अनुसार रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/1469, दिनांक 30-11-2016 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 37-29/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./2016/1449, दिनांक 28-11-2016 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा परिशिष्ट-1 में आम चुनाव एवं परिशिष्ट-2 में उप चुनाव हेतु उल्लेखित जिलों के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 27-12-2016 (मंगलवार) को मतदान कराया जायेगा.

2. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् 27-12-2016 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02-घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

परिशिष्ट-1

आम निर्वाचन 2016

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1. विश्रामपुरी "अ"	20

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
			2. विश्रामपुरी "ब"	17
			3. खरगांव	14
			4. जिर्रापारा	10
			5. बीरापारा	20
		योग	**05**	**81**

परिशिष्ट–2

पंचायत के रिक्त पदों की जिलों से प्राप्त संकलित जानकारी

माह 30 जून 2016 की स्थिति में

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	0	0	4	16	20
2.	मुंगेली	0	0	7	6	13
3.	जांजगीर–चांपा	0	0	10	27	37
4.	कोरबा	0	0	2	8	10
5.	सूरजपुर	0	0	3	29	32
6.	सरगुजा	0	0	2	19	21
7.	कोरिया	0	0	2	15	17
8.	रायगढ़	0	0	1	25	26
9.	जशपुर	0	0	3	12	15
10.	रायपुर	0	0	4	16	21
11.	बलौदाबाजार	0	1	9	15	25
12.	गरियाबंद	0	0	1	19	20
13.	महासमुन्द	0	0	7	18	25
14.	धमतरी	0	0	6	9	15
15.	बेमेतरा	1	0	2	16	19
16.	दुर्ग	0	0	1	10	11
17.	बालोद	0	0	8	8	16
18.	राजनांदगांव	0	0	9	23	32
19.	कबीरधाम	0	0	5	11	16
20.	कोण्डागांव	0	0	0	11	11
21.	बस्तर	0	0	1	5	6
22.	कांकेर	0	1	6	142	149
23.	दन्तेवाड़ा	0	1	2	18	21
24.	बीजापुर	1	0	1	3	5
	योग	**2**	**3**	**96**	**481**	**582**

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/1469, दिनांक 30-11-2016 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 54-7/तीन (दो)/नपा./समय कार्यक्रम/2016/1446, दिनांक 28-11-2016 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) एवं नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क) तथा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन हेतु दिनांक 27-12-2016 (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित है.

2. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् 27-12-2016 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

(आम निर्वाचन)

क्र.	जिला	नगरपालिकाओं के नाम
1.	दुर्ग	नगरपालिक निगम भिलाई चरौदा
2.	रायगढ़	नगरपालिका परिषद् सारंगढ़

परिशिष्ट-2

(उप निर्वाचन)

क्र.	जिला	नगरपालिकाओं के नाम	वार्ड क्रमांक
1.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, चांपा	26
		नगर पंचायत, जैजेपुर	अध्यक्ष पद हेतु
2.	कोरिया	नगर पंचायत नई लेदरी	10 एवं 11
3.	गरियाबंद	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	15
4.	बालोद	नगर पंचायत, डौण्डी	14 एवं 15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा	1, 14 एवं 15
5.	सुकमा	नगर पंचायत, दोरनापाल	12

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-13-03/2008/20-2 (3).—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 28 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (4) की प्रविष्टि 2 एवं 3 को विलोपित किया जाये.

No. F-13-03/2008/20-2 (3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of Section 28 of the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Board of Secondary Education Recruitment and Promotion Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In entry 2 and 3 of column (4) of serial number 14 of Schedule-IV shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक 2269/परि.वि./2016.—ऐसे समस्त मार्गों को, जिनका पूर्व में विनिर्माण नहीं हुआ है, परंतु जिन पर मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थाई या अस्थाई अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाते हैं, को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) (ग-क) के उद्देश्य से विनिर्मित माना जावेगा.

No. 2269/Tran. Dept/2016.—All such routes which have not earlier been formulated but on which the STA or RTA grants permanent or temporary permit for operation of stage Carriage shall be deemed to be formulated for the purpose of sub section (3) (ca) of section 68 of Motor Vehicle Act 1988.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्रमांक 14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मल्हार प.ह.नं. 35	22.62	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 4/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	छतौना प.ह.नं. 08	3.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	केंदा व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 5/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	परसापानी प.ह.नं. 02	5.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सतनाला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 6/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुसुमखेडा प.ह.नं. 06	1.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	केंदा व्यपवर्तन योजनांतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 7/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुसुमखेडा प.ह.नं. 06	1.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	केंदा व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 9/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सोढाखुर्द प.ह.नं. 08	2.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	केंदा व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	विचारपुर प.ह.नं. 02	1.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	केंदा व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुडा प.ह.नं. 16	0.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सतनाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पोड़ी प.ह.नं. 01	9.454	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पोड़ी जलाशय योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य (डूबान) हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	917	0.26
योग	1	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम कुली में माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बेटरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	14	0.50
	13/1	0.01
	13/3	0.25
	13/4	0.24
	13/2	0.20
	58/1	0.21
	58/3	0.26
	256/1	0.10
	256/2	0.10
	256/4	0.30
	259/1	0.24
	259/2	0.04
	261/6	0.24
	261/11	0.42
	260	0.02
	251/1	0.11
	251/2	0.11
	264/4	0.04
	241	1.63
	242	0.17
	237/1	0.06
	237/2	0.35
	237/3	0.04
	243	0.31
	240/2	0.02
	252	0.06
	15/2	0.05
योग	27	6.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम बेटरी में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जैतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
109/1	0.36
109/2	0.07
108	0.27
107/2	0.29
122/1	0.05
122/2	0.32
122/3	0.02
123	0.18
124	0.13
125	0.50
127/4	0.17
126	0.50
127/5	0.22
128	0.02
176/1	0.25
175/1	0.03
176/2	0.12
176/3	0.08
174/1	0.10
176/4	0.13
172	0.35
168	0.09
167	0.04
166	0.01

(1)	(2)
169	0.12
161	0.17
159	0.20
153	0.27
150, 151	0.03
155	0.27
144/4, 145/2, 154/2	0.25
146/1	0.10
148/1	0.10
148/2	0.13
149/1	0.15
149/2	0.20
149/4	0.15
149/3	0.30
149/5	0.20
149/8	0.05
698/2	0.17
690/1	0.72
745/1	0.16
743	0.09
744	0.40
854/1	0.08
854/2	0.12
854/5	0.26
162/1	0.12
163	0.03
162/2	0.12
700	0.07
योग 52	9.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम जैतपुर में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्रमांक 7/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-करंगरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
73	0.004
94	0.032
111	0.065
59	0.020
101	0.125
60	0.219
106	0.053
योग 7	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करंगरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-कनईबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.253 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/2	0.008
66	0.190
122	0.049
133	0.057
94/1	0.049
99/1	0.352
64/1	0.117
98/2	0.101
16/3	0.020
34/12	0.077
94/2	0.065
85/3	0.138
92/4	0.032
36/3	0.069
101/2	0.101
86	0.583
120/1	0.368
123/1	0.117
32/3	0.053
34/10	0.024
34/4	0.073
67	0.040
68/2	0.105
130/2	0.057
94/3	0.028
16/2	0.146
34/3	0.150
34/5	0.109
34/6	0.069
92/1	0.036
64/4	0.279
91/1	0.069
82/2	0.166
92/2	0.081
83/1	0.162
131	0.101
100	0.012
योग 37	4.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1247/03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जजगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1818/1	0.049
1701/7	0.004
1704	0.012
1787	0.004
1698/5	0.013
1709	0.024
1701/6	0.008
1714/3	0.012
1713	0.024
1786/2	0.032
1703	0.020
1812/2	0.016
1698/7	0.040
1782	0.045
1814/1	0.004
1798/3	0.012
1786/1	0.032
1811	0.004
1812/1	0.016
1701/9	0.020
1708	0.028

(1)	(2)
1813	0.032
1698/8	0.044
1711/2	0.024
1714/2	0.012
1701/7	0.004
1701/8	0.008
1705	0.004
1817/2	0.045
1698/6	0.013
1710/1	0.032
1702/1	0.016
1702/2	0.016
योग 32	0.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नरकालो जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1249/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.698 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/2	0.024
42/2	0.177
56/3	0.004
140/2	0.004
145/1	0.022
276/1	0.004
145/2	0.054
274	0.036
264	0.038
153/2	0.016
163/1	0.005
161/2	0.048
159	0.120
42/3	0.008
46/1	0.004
57/2	0.048
140/3	0.004
144	0.140
153/4	0.009
275/2	0.014
148/1	0.093
150/2	0.008
164/1	0.008
162	0.026
150/1	0.008
157	0.101
42/1	0.079
56/1	0.034
128/1	0.026
141	0.032
284	0.004
276/2	0.004
275/1	0.010
148/2	0.040
153/1	0.014
164/3	0.024
163/2	0.024
153/3	0.008
268	0.032
43	0.032
56/2	0.010
139	0.038
142	0.028
135	0.022
146/1	0.044
275/3	0.008

	(1)	(2)
	149	0.013
	150/3	0.008
	164/2	0.016
	161/1	0.080
	154	0.045
योग	51	1.698

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1251/18/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	40/811	0.080
	37	0.008
	40/814	0.092
	38	0.008
	491/815	0.048
	39	0.070
	816	0.034
योग	7	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्दनई व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1049/अ.वि.अ./अधिसूचना/2015-16.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके लिए उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर की अधिसूचना क्रमांक 540/अ.वि.अ./अधिसूचना/2015-16 जगदलपुर दिनांक 02-08-2016 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक में दिनांक 19-8-2016 को पृष्ठ क्रमांक 1489 में प्रकाशित) द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार परियोजना के लिए जल परिवहन बाबत् भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2016 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को दी गई है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से कोई आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	धनपूंजी	504/1	0.12
		प.ह.नं.-28	528/1	0.07
			528/2	0.06
			531	0.08
		योग	**4**	**0.33**

एस. आर. कुर्रे,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5490.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/6801-6802 रायपुर दिनांक 23-01-2016 द्वारा श्री गौरव कुमार सिंह (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/8032/258/क/अ.अ.ऊ.शाखा/2016 महासमुन्द दिनांक 26-11-2016 द्वारा श्री पवन कुमार प्रेमी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री गौरव कुमार सिंह (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली का स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री पवन कुमार प्रेमी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5492.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/998 रायपुर दिनांक 13-05-2015 द्वारा श्री बी.एल. साहू तहसीलदार छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/5666/ज्ये.लि.1/2016 राजनांदगांव दिनांक 22-11-2016 द्वारा श्रीमति नमिता मारकोले, (नायब तहसीलदार) प्रभारी तहसीलदार छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गण्डई का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी.एल. साहू तत्कालीन तहसीलदार छुईखदान का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती नमिता मारकोले, (नायब तहसीलदार) प्रभारी तहसीलदार, छुईखदान को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) मुंगेली छ.ग.

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4879/अ.भू.अ./रा.नि.पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल कलेक्टर मुंगेली एतद्द्वारा जिल मुंगेली के तहसील मुंगेली के अंतर्गत पुनर्गठित पटवारी हल्कों को सम्मिलित करते हुए निम्न सूची के अनुसार पटवारी हल्कावार पृथक-पृथक 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल पुनर्गठित करती हूं :—

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मं. का नाम	पटवारी हल्के का नाम/ मुख्यालय	प.ह.नं.	आश्रित ग्राम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मुंगेली	मुंगेली	केशलीकला	1	केशलीकला	(1) खैरासेतगंगा	
2.					लालपुर		
3.					माराडबरी		
4.					खुंटा (वी)		
5.					बीजातराई		
6.					भूमियापारा		
7.			खैरासेतगंगा	2	खैरा सेतगंगा		
8.					गोरखपुर		
9.					सिंगारपुर		
10.					पडकीखुर्द		
11.					सारंगपुर		
12.					पण्डोतरा		
13.					दुल्लापुर		
14.					सिपाही		
15.			बोदा	3	बोदा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.					परसवारा		
17.					मदनपुर		
18.					रमईपुर		
19.					चमारी		
20.					भडहा (वी)		
21.					सेमरकोना		
22.					भुरका		
23.					गांड़ाघाट		
24.			छटन	4	छटन		
25.					मानपुर (वी)		
26.					दामापुर		
27.					जुझारभांठा		
28.					चमारी		
29.					गिगतरा		
30.			दुल्लापुर	5	दुल्लापुर		
31.					सोनपुरी		
32.					खम्हरिया		
33.					मोतिमपुर		
34.					भरूवागुड़ा		
35.					मजगांव		
36.					चिचेसरा		
37.					लैकडूम		
38.					बुचीपारा		
39.					बुधवारा		
40.			गस्तीकापा	14	गस्तीकापा		
41.					शीतलदह		
42.					गोपतपुर		
43.					बिझौरी		
44.					फंदवानी कापा		
45.					रमईपुर (वी)		
46.			दाबो	15	दाबो		
47.					बहरपुर		
48.					सिल्ली		
49.					नवागांव (मु.)		
50.					बैहरसरी		
51.					कैथ नवागांव		
52.			नागोपहरी	16	नागोपहरी		
53.					तालम		
54.					झिटकनिया		
55.					किंगरियापारा		
56.					विचारपुर		
57.					सोनपुरी		
58.			राजपुर	17	राजपुर		
59.					रजपालपुर		
60.					केहरपुर		
61.					सनकपाट		
62.					डोंगरी (वी)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
63.					पौनी		
64.			जल्ली	18	जल्ली		
65.					कंचनपुर		
66.					चिरौंजपुर		
67.					डोडा		
68.					कोलिहाडीह		
69.					चापतरा वि		
70.			मुड़पार	19	मुड़पार		
71.					दुल्लापुर		
72.					तुमड़ी		
73.					झलियापुर		
74.					अचानकपुर		
75.					जुनवानी		
76.					ठेंगा		
77.			भीमपुरी	22	भीमपुरी		
78.					चुचरूंगपुर		
79.					उसलापुर		
80.					मानपुर		
81.					हरियरपुर		
82.					बोधीपारा		
83.					केस्तरा		
84.					फागूपारा		
85.			कारेसरा	23	कारेसरा		
86.					छुईहा		
87.					झलियापुर (वी)		
88.					तरवरपुर		
89.					उदका		
90.					बैहाकापा		
91.					ठाकुरकापा		
			योग	**13**	**91 ग्राम**		
92.			भालापुर	20	भालापुर	(2) टेमरी	
93.					नारायणपुर		
94.					केसली		
95.			लछनपुर	21	लछनपुर		
96.					अनंतपुर		
97.					सिंघनपुरी		
98.					सेनगांव (वी)		
99.					टेढ़ाधौरा		
100.					भगतपुर (वी)		
101.			बांकी	24	बांकी		
102.					जैतपुरी		
103.					सोनपुरी		
104.					शितलकुण्डा		
105.					चमारी		
106.					टिंगीपुर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107.					तुलसीकापा		
108.					ढकेलकापा वि.		
109.			चकरभट्ठा	25	चकरभट्ठा		
110.					पलानसरी		
111.					भदराली		
112.					मानपुर		
113.					बोड़तरा		
114.					बहरमुड़ा		
115.			निरजाम	26	निरजाम		
116.					डौकीदह		
117.					धनगांव (च)		
118.					चलान		
119.					दामापुर		
120.			सम्बलपुर	27	संबलपुर		
121.					भैंसामुड़ा		
122.					जंगलपुर		
123.					कोलिहा		
124.					चो. बुंदेली		
125.					करूपान		
126.					बामपारा		
127.			कोदूकापा	48	कोदूकापा		
128.					बरबसपुर		
129.					कोयलारी (वी)		
130.					जेठूकापा		
131.					बुंदेली		
132.			टेमरी	49	टेमरी		
133.					कनौजिया कापा		
134.					कौहाबांधा (वी)		
135.					नवागांव		
136.					सिंगबांधा		
137.					गुना		
138.			पुरान	50	पुरान		
139.					जैतरमी		
140.					कोहड़िया		
141.					औराबांधा		
142.					रजपुरा		
143.			चिरहुला	51	चिरहुला		
144.					घुठेली		
145.					भरदा		
146.					लोकईपुर		
147.			पन्डरभट्ठा	52	पंडरभठा		
148.					लक्षनपुर (की)		
149.					कंवलपुर		
150.					किरना		
151.			बलौदी	53	बलौदी		
152.					मजगांव		
153.					गिधपुरी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
154.					चीनू		
155.					नवागांव (चि.)		
156.					मामा		
157.					जमहा		
158.					भांचा		
159.			नेवासपुर	56	नेवासपुर		
160.					चन्द्रपुर (वि.)		
161.					घोरपुरा		
162.			धपई	57	धपई		
163.					खलबोरवा		
164.					करही		
165.					छीतापुर		
			योग	**14**	**74 ग्राम**		
166.			कंतेली	6	कंतेली	(3) मुंगेली	
167.					रानी उमरिया		
168.					बोधापारा		
169.					हरदीडीह		
170.					महादेवगढ़		
171.			छाता	7	छाता		
172.					पतालकुण्डी		
173.					प्रतापपुर		
174.					दामापुर		
175.			हेडसपुर	8	हेडसपुर		
176.					जैतपुरी		
177.					ढबहा		
178.					कोलिहाडीह		
179.					रीवांपारा		
180.			जमकोर	9	जमकोर		
181.					उमरिया		
182.					झीलगाडीह (वी)		
183.					बैहाकापा		
184.			देवरी	10	देवरी		
185.					संगवाकापा		
186.			सुरदा	11	सुरदा		
187.					ठाकुरकापा		
188.					नवागांव (घु)		
189.			सुरीघाट	12	सुरीघाट		
190.					घुठेरा		
191.					देवगांव		
192.			चातरखार	13	चातरखार		
193.					बाघामुड़ा		
194.					फदवानी		
195.					बरईदरहा		
196.			लिलवाकापा	28	लिलवाकापा		
197.					रामाकापा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
198.					दुलहिनबाय		
199.					हेडसपुर		
200.					रेंहूटा		
201.					कामता		
202.			मुंगेली	29	मुंगेली (न.पा. क्षेत्र)		
203.			करही	30	करही		
204.					भर्राकुण्डा		
205.					चमारी		
206.					रामगढ़		
207.			लिम्हा	46	लिम्हा		
208.					गीधा		
209.			लालाकापा	47	लालाकापा		
210.					मौहामड़वा		
211.					लछनपुर		
212.					खैरवार		
213.					पालचुवां		
214.					नुनियाकछार		
215.					भादूकापा		
216.			देवरी	55	देवरी		
217.					खपरी		
218.					खेढ़ा		
219.			अमलीडीह	58	अमलीडीह		
220.					झगरहट्टा		
221.					नवागांव (ग)		
222.					सुरेठा		
223.					मोहतरा		
			योग	**15**	**58 ग्राम**		
224.			चारभांठा	31	चारभांठा	(4) जरहागांव	
225.					मदनपुर		
226.					खुजहा		
227.					झुलना खुर्द		
228.					बिरगांव		
229.			कोदवाबानी	32	कोदवाबानी		
230.					पेण्ड्री (वी)		
231.					खुर्सी		
232.					निपनिया		
233.					मुड़िया		
234.			भठलीकला	33	भठलीकला		
235.					झझपुरी		
236.					भठलीखुर्द		
237.			लोहड़िया	34	लोहड़िया		
238.					रामपुर		
239.					धनगांव (गो)		
240.					खैरवार (नि.)		
241.			कोना	35	कोना		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
242.					घुण्डूकापा		
243.					पचोटिया		
244.					कोसमा		
245.					भुसण्डी		
246.			सेमरचुवा	36	सेमरचुवां		
247.					ठकुरीकापा		
248.					कुरानकापा		
249.					तरईगांव		
250.					लोहराकापा		
251.			बरेला	37	बरेला		
252.					भथरी		
253.			पदमपुर	38	पदमपुर		
254.					केसरूवाडीह		
255.					सोल्हा-बेल्हा		
256.			फुलवारी	39	फुलवारी		
257.					तोताकापा		
258.					बिरगांव		
259.			दाउकापा	40	दाउकापा		
260.					चितवाकापा		
261.					बिरगहनी		
262.					खम्हरिया		
263.			जरहागांव	41	जरहागांव		
264.					छतौना		
265.					पेण्ड्रीडीह		
266.					बुचवाकापा		
267.			फरहदा	42	फरहदा		
268.					पीपरपारा (वी)		
269.					नोहरकापा (वी)		
270.					खाम्हीकुर्मी		
271.					मोतिमपुर		
272.			दशरंगपुर	43	दशरंगपुर		
273.					किशनपुर		
274.					टिंगीपुर (वी)		
275.					डोमनपुरी		
276.			सोढ़ार	44	सोढ़ार		
277.					कुआंगांव		
278.			धरमपुरा	45	धरमपुरा		
279.					रोहरा (खुर्द)		
280.					जोगीपुर		
281.			बरदुली	54	बरदुली		
282.					पिथमपुर		
			योग	**16**	**59 ग्राम**		

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4879/अ.भू.अ./रा.नि.पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल कलेक्टर मुंगेली जिला मुंगेली के अंतर्गत तहसील लोरमी के पुनर्गठित पटवारी हल्कों को सम्मिलित करते हुए निम्न सूची के अनुसार पटवारी हल्कावार पृथक-पृथक 03 राजस्व निरीक्षक मण्डल पुनर्गठित करती हूं :—

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मं. का नाम	पटवारी हल्के का नाम/ मुख्यालय	प.ह.नं.	आश्रित ग्राम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	लोरमी	लोरमी	दरवाजा	5	दरवाजा	लोरमी	
2.					कंसरी		
3.					घानाघाट		
4.					छिन्दपुरा		
5.			कोदवामहन्त	6	कोदवामहन्त		
6.					बघर्रा		
7.					बघनीभांवर		
8.					जमुनाही		
9.			चेचानडीह	7	चेचानडीह		
10.					बांधी		
11.					मोहबंधा		
12.					कोसाबाड़ी		
13.					कंचनपुर		
14.			लाखासार	8	लाखासार		
15.					नवागांव झोत्था		
16.					रहंगी		
17.					भारतपुर		
18.			डोगरिया	9	डोगरिया		
19.					उरईकछार		
20.			सारिसताल	10	सारिसताल		
21.					हरदीबांध		
22.			झझपुरीकला	19	झझपुरीकला		
23.					सरईपतेरा		
24.			अचानकमार	64	अचानकमार		प्रस्तावित हल्का
25.					शिवलखार		
26.					दानवखार		
27.					सारसडोल		
28.					सिहावल		
29.					कटामी		
30.					बम्हनी		
31.			छपरवा	61	छपरवा		प्रस्तावित हल्का
32.					बिंदावल		
33.					तिलईडबरा		
34.					लमनी		
35.					रंजकी		
36.					अतरिया खार		
37.					छिरहट्टा		
38.					बिरारपानी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39.			ढोलगी	20	ढोलगी		
40.					गुनापुर		
41.					लपटी		
42.					रेहूंटा		
43.			बुधवारा	21	बुधवारा		
44.					तुलसाघाट		
45.					परसवारा		
46.			पेण्ड्रीतालाब	22	पेन्ड्री तालाब		
47.					टिंगीपुर		
48.					न्यू जल्दा		
49.					नवागांव वेंकट		
50.					विठलदह		
51.			लोरमी	23	लोरमी		
52.					राम्हेपुर		
53.					गदहीडीह		
54.					मजगांव		
55.			सारधा	24	सारधा		
56.					महरपुर		
57.					तेलीखाम्ही		
58.					घोरबंधा		
59.			सेमरिया	44	सेमरिया		
60.					कुसुमकुण्डा		
61.					डिण्डोल		
62.					महरपुर		
63.					पुटूपतेरा		
64.					चन्दपुर		
			योग	**15**	**64 ग्राम**		
65.			कठौतिया	1	कठौतिया	बोड़तराकला	
66.					भूतकछार		
67.					मलकछली		
68.					झिरिया		
69.					सरगढ़ी		
70.			डिंडौरी	2	डिंडौरी		
71.					नवरंगपुर		
72.			झलरी	3	झलरी		
73.					चचेड़ी		
74.					कारीडोगरी		
75.					कंसरा		
76.					न्यू सांभरधसान		
77.					न्यू बाकल		
78.					न्यू बोकराकछार		
79.			अखरार	4	अखरार		
80.					धनियाडोली		
81.			साल्हेघोरी	11	साल्हेघोरी		
82.					पथर्री		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83.					लंघवाटोला		
84.			तिलकपुर	12	तिलकपुर		
85.					करूहानार		
86.					फौजदारकापा		
87.					मनकी		
88.					पीथमपुर		
89.			राम्हेपुर (एन)	13	राम्हेपुर (एन)		
90.					आछीडोंगरी		
91.			लीलापुर	14	लीलापुर		
92.					लालसाय कापा		
93.					लाखापुरी		
94.					भस्करा		
95.					खैराखूर्द		
96.			फुलवारी (एफ)	15	फुलवारी (एफ)		
97.					फुलझर		
98.					कुटेलाटोला		
99.			धरमपुरा	16	धरमपुरा		
100.					सेनगुड़ा		
101.					घाठापानी		
102.					खपरीखुर्द		
103.			पथर्रा	17	पथर्रा		
104.					रैतराखूर्द		
105.					मोहनपुर		
106.					चरनीटोला		
107.					जुनापानी		
108.			गोंड़खाम्ही	18	गोंडखाम्ही		
109.					अमलडीही		
110.			बोडतराकला	26	बोडतराकला		
111.					हरदी		
112.					खेकतरा		
113.			खैरवारखूर्द	27	खैरवारखूर्द		
114.					परदेशीकापा		
115.					नथेलापारा		
116.					दाढ़ीपारा		
117.					रगियापारा		
118.					कन्हारपुर (वि)		
119.			चिल्फी	28	चिल्फी		
120.					सहसपुर		
121.					बैजलपुर		
122.					घठोली		
123.					गोल्हापारा		
124.					मेघापारा		
125.			लगरा	29	लगरा		
126.					खपरीकला		
127.					डूमरहा		
128.			कोसमतरा	30	कोसमतरा		
129.					साल्हेघोरी		
130.					रैतराकला		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
131.			महामाई	62	महामाई		प्रस्तावित हल्का
132.					डगनिया		
133.					बिसौनी		
134.					सरसोहा		
135.					निवासखार		
136.					जाकडबांधा		
137.			बिजराकछार	63	बिजराकछार		प्रस्तावित हल्का
138.					मौहामाचा		
139.					सलगी		
140.					चकदा		
141.					मजूरहा		
142.					बोईरहा		
143.					पटपरहा		
144.					औरापानी		
145.					राजक		
146.			खुडिया	65	खुडिया		प्रस्तावित हल्का
147.					न्यु बहाउड		
148.					सुरही		
149.					जमुनाही		
150.					अतरिया		
151.			डोंगरीगढ़	66	डोंगरीगढ़		प्रस्तावित हल्का
152.					दुल्लापुर		
153.					नवागांव दयाली		
			योग	**21**	**89 ग्राम**		
154.			मुछेल	25	मुछेल	चंदली	
155.					सिलतरा		
156.					गांड़ाटोला		
157.					गोविन्दपुर		
158.			बघमार	31	बघमार		
159.					नवागांव ठेलका		
160.					गातापार		
161.					अमलीडीह		
162.			सिंघनपुी	58	सिंघनपुरी		प्रस्तावित हल्का
163.					मानिकपुर		
164.					बंशापुर		
165.					भाठा		
166.					कुकुरहट्टा		
167.			मोहडंडा	32	मोहडंडा		
168.					बेलसरी		
169.					घोसर्रा		
170.					कोयलारी		
171.			डिंडौरी	33	डिंडौरी		
172.					चिखलदह		
173.					सुरजपुरा		
174.					अमलीडीह		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
175.			फुलवारी कला	34	फुलवारीकला		
176.					फुलवारीखूर्द		
177.					विचारपुर		
178.					गोरखपुर		
179.					भाकुरकापा		
180.			रजपालपुर	35	रजपालपुर		
181.					गैलूगांव		
182.					ईलचपुर		
183.					भालूखोंदरा		
184.			जोतपुर	36	जोतपुर		
185.					दाउकापा		
186.					चकला		
187.					छीतापार		
188.			बरमपुर	37	बरमपुर		
189.					उजियारपुर		
190.					बरियारपुर		
191.					धोधापारा		
192.			धौंराभांठ	38	धौंराभांठ		
193.					राम्हेपुर जे.		
194.					झिरवन		
195.			बंधवा	39	बंधवा		
196.					पेन्ड्री तालाब वी.		
197.					बरबसपुर		
198.			करनकापा	59	करनकापा		प्रस्तावित हल्का
199.					कलमीडीह		
200.					गाडापारा		
201.					रतियापारा		
202.			मनोहरपुर	40	मनोहरपुर		
203.					खपरीडीह		
204.					राजपुर		
205.					कंचनपुर		
206.			परसाकापा	41	परसाकापा		
207.					बिजराकापाखूर्द		
208.					झोका		
209.					डेरहाकापा		
210.					केस्तरपुर		
211.			कुधुरताल	42	कुधुरताल		
212.					दयालपुर		
213.					इंदलपुर		
214.					गोपालपुर		
215.					मोहतरा तेली		
216.					नवापारा		
217.					कबराटोला		
218.			चंदली	43	चंदली		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
219.					बरबसपुर		
220.					झाफल		
			योग	**16**	**67 ग्राम**		
221.			विचारपुर	45	विचारपुर	कोतरी	
222.					पीथमपुर		
223.					लछनपुर		
224.			सुकली	46	सुकली		
225.					लालपुर कला		
226.					नवागांव जैत		
227.			पैजनिया	47	पैजनिया		
228.					कोतरी		
229.					ठरकपुर		
230.			खेकतरा	48	खेकतरा		
231.					दादनकापा		
232.					रबेली		
233.					नवरंगपुर		
234.			पिपरखूंटा	49	पिपरखूंटा		
235.					तुरवारी		
236.					मसना		
237.					मसनी		
238.			औराबांधा	50	औराबांधा		
239.					पिपरखूंटी		
240.					हडगांव		
241.					नवलपुर		
242.			बैगाकापा	51	बैगाकापा		
243.					धोबघटठी		
244.					छिरहुटी		
245.					नारायणपुर		
246.					करीलकुण्डा		
247.			लालपुर थाना	52	लालपुर थाना		
248.					सारंगपुर		
249.					मानपुर		
250.					सुखाताल		
251.					शीतलपुर		
252.					मारूकापा		
253.					सांवतपुर		
254.					सिंगारपुर		
255.					पथरताल		
256.			गुरूवाईनडबरी	53	गुरूवाईनडबरी		
257.					गैजी		
258.			बिजराकापा कला	54	बिजराकापा कला		
259.					बोइरपारा		
260.					सुरेठा		
261.			देवरहट	55	देवरहट		
262.					कुम्हरौली		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
263.					पठारीकापा		
264.			हरनाचाका	60	हरनाचाका		प्रस्तावित हल्का
265.					बांधा		
266.			मोहतरा कुर्मी	56	मोहतरा कुर्मी		
267.					तेलियापुरान		
268.					कौहाबांधा		
269.			सेमरसल	57	सेमरसल		
270.					बटहा		
271.					नवागांव (ब)		
			योग	**14**	**51 ग्राम**		

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4879/अ.भू.अ./रा.नि.पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल कलेक्टर मुंगेली जिला मुंगेली के अंतर्गत तहसील पथरिया के पुनर्गठित पटवारी हल्कों को सम्मिलित करते हुए निम्न सूची के अनुसार पटवारी हल्कावार पृथक-पृथक 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल पुनर्गठित करती हूं :—

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मं. का नाम	पटवारी हल्के का नाम/ मुख्यालय	प.ह.नं.	आश्रित ग्राम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पथरिया	पथरिया	भटगांव	1	भटगांव	लौदा	
2.					बमुरहाडीह		
3.					बछेरा		
4.			हथनीकला	2	हथनीकला		
5.					ढोठमा		
6.			डाडगांव	3	डाडगांव		
7.					गोइन्द्री		
8.			गोइन्द्रा	4	गोइन्द्रा		
9.					टेंगनागढ़		
10.					तराईकांपा		
11.					बैजना		
12.			सोनपुरी	6	सोनपुरी		
13.					जमकुही		
14.					जगताकापा		
15.					खैरी		
16.			पुछेली	13	पुछेली		
17.					कोकड़ी		
18.					मझरेटा		
19.			लौदा	14	लौदा		
20.					खपरी		
21.					कंचनपुर		
22.					खैरझिटी		
23.					टोनहीचुवां		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.			बरदुली	15	बरदुली		
25.					केवटाडीह		
26.					जेवरा		
27.					हथनीखुर्द		
28.					मोतिमपुर		
29.			अमलीकापा	16	अमलीकापा		
30.					तरकीडीह		
31.					परसाकापा		
32.			अमोरा	17	अमोरा		
33.					नवागांव		
34.					भिलाई		
35.			कुकुसदा	18	कुकुसदा		
36.					रौनाकापा		
37.					कोडपुरी		
38.					लाटा		
39.			बरछा	40	बरछा		प्रस्तावित हल्का
40.					बगबुडवा		
41.					गंधीरवाडीह		
			योग	**12**	**41 ग्राम**		
42.			पथरिया	5	पथरिया	पथरिया	
43.					चोरभट्ठी		
44.					लौदापारा		
45.					डंगनिया (विरान)		
46.					भीमपुरी		
47.					लछनपुर (विरान)		
48.			सिलतरा	7	सिलतरा		
49.					भूलनकापा		
50.					कपुवा		
51.					चन्दरगढ़ी		
52.			जोता	8	जोता		
53.					नहना		
54.					हरदी		
55.					पथरगढ़ी		
56.					पुटपुरा		
57.					भठली		
58.					बेडहाकापा		
59.			छिन्दभोग	9	छिन्दभोग		
60.					सकेरी		
61.					कान्हरपुर		
62.					खपरी		
63.					ढोढापुर		
64.					ईसराकापा		
65.			भरेवा	10	भरेवा		
66.					पौंसरी		
67.					पीड़ा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68.			जरेली	11	जरेली		
69.					पेन्ड्री (ज)		
70.					पेटुलकापा		
71.					देवरी		
72.					केवईया		
73.			मुण्डादेवरी	12	मुण्डादेवरी		
74.					जुनवानी		
75.					दलपुरवा		
76.					अमलडीहा		
77.					डाकाचाका		
78.			सकेत	19	सकेत		
79.					कान्हरकापा		
80.					परसिया		
81.			चंदली	20	चंदली		
82.					तुमाढेटा		
83.					झुलनाकला		
84.			पड़ियाईन	21	पड़ियाईन		
85.					रोहरकला		
86.			धरदेई	22	धरदेई		
87.					डिघोरा		
88.					चिरौटी		
89.			सिलदहा	23	सिलदहा		
90.					घुठेली		
91.			बेलखुरी	24	बेलखुरी		
92.					लमती		
93.					मचहा		
94.					त्रिभुवनपुर		
95.			कलारजेवरा	25	कलारजेवरा		
96.					खुटेरा		
97.			गंगद्वारी	41	गंगद्वारी		
98.					परसदा		
99.			सेंदरी	42	सेंदरी		
100.					पोडी		
101.					सोढ़ी (नि.)		
102.					बरछा		
103.			सोढ़ी (म.)	43	सोढी (म.)		
104.					मोहभट्‌ठा		
			योग	**17**	**63 ग्राम**		
105.		सरगांव	मर्राकोना	26	मर्राकोना	सरगांव	
106.					पिपरलोड		
107.					बदरा (ब)		
108.			बावली	27	बावली		
109.					हथकेरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110.			उमरिया	28	उमरिया		
111.					ककेड़ी		
112.			दौना	29	दौना		
113.					बिरकोनी		
114.			अण्डा	30	अण्डा		
115.					टिकैत पेन्ड्री		
116.					दानी पेन्ड्री		
117.			रामबोड़	31	रामबोड़		
118.					खम्हारडीह		
119.					मोहदी		
120.					लुकउकापा		
121.			सरगांव	32	सरगांव		
122.					खपरी		
123.			बिदबिदा	33	बिदबिदा		
124.					रमतला		
125.					खरसोला		
126.			मोहभट्ठा	34	मोहभट्ठा		
127.					चुनचुनिया		
128.					करही		
129.			सांवतपुर	35	सांवतपुर		
130.					खजुरी		
131.					नगपुरा		
132.					मोतिमपुर		
133.			किरना	36	किरना		
134.					धूमा		
135.					देवाकर		
136.					बारगांव		
137.			हिन्छापुरी	37	हिन्छापुरी		
138.					कचरबोड़		
139.					पेन्ड्री (स)		
140.					खैरा		
141.					मदवानी		
142.			चन्द्रखुरी	38	चन्द्रखुरी		
143.					घुठिया		
144.			दरूवनकापा	39	दरूवनकापा		
145.					झगरकापा		
146.					लमती		
147.					बासीन		
148.					ढेलकी		
149.					मदकू		
150.					बड़ियाडीह		
151.			पकरिया	44	पकरिया		प्रस्तावित हल्का
152.					बदरा (ठ)		
153.			सावा	45	सावा		प्रस्तावित हल्का
154.					लोहदा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
155.					तोरला		
156.					लखुवाडीह		
157.			सल्फा	46	सल्फा		प्रस्तावित हल्का
158.					भखुरीडीह		
159.					धमनी		
			योग	**17**	**55 ग्राम**		

किरण कौशल,
कलेक्टर.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्रमांक 1718/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छुरी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, कार्यालय नगर पंचायत, छुरी एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) में दिनांक 30-12-2016 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम केनाडांड, दर्राभाठा, गांगपुर एवं छुरीखुर्द ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम छुरीखुर्द, धनरास एवं बनचर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बनचर, जटांगपुर, कसरेंगा एवं छुरीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छुरीकला, सलोरा, बिसनपुर एवं केनाडांड ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो आयुक्त सह-संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला कोरबा छ.ग.
2. कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत छुरी, जिला कोरबा छ.ग.
3. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा छ.ग.

No./1718/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Chhuri Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of there of is available for inspection w.e.f. 30-12-2016 during office hour's of working day's in the office of the S.D.O. (Revenue) Katghora, Office of the Nagar Panchayat, Chhuri and office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.) during office hours of working days. The limits of Pali Planning Area are detailed in schedule given below :—

SCHEDULE

NORTH	:	Village Kenadand, Darrabhatha, Gangpur, Chhurikala and upto the North limit.
EAST	:	Village Chhurikhurd, Dhanras, Banchar and upto the East limit.
SOUTH	:	Village Banchar, Jatangpur, Kasrenga Chhurikala and upto the South limit.
WEST	:	Village Chhurikala, Salora, Bisanpur, Kenadand and upto the west limit.

If there be any objection of suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (CG), within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Commissioner Cum-Director.

Inspection Site :
1. Office of the S.D.O. (Revenue) Katghora, Distt. Korba (C.G.)
2. Office of the Nagar Panchayat, Chhuri Distt. Korba (C.G.)
3. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.)

के. एस. कंवर,
उप संचालक.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 1417/बीजापुर व.भू./न.ग्रा.नि./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में बीजापुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 551/बीजापुर व.भू./नग्रानि/2016 जगदलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन बीजापुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 08-09-2016 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एंव अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बीजापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मांझीगुडा एवं तुरनार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम तुरनार एवं बीजापुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बीजापुर एवं जैतालूर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम जैतालूर एवं ईटपाल की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद् कार्यालय भवन, बीजापुर.

No. 1417/Bijapur E.L.U./T&CP/2016.—The existing land use map and register for the Bijapur Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No 551/Bijapur E.L.U./T.C.P./2016 Jagdalpur, dated 18 April 2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Bijapur Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 08-09-2016.

SCHEDULE

Limits of Bijapur Planning Area

NORTH : Village Majhiguda and Turnar to the northern limit.
EAST : Village Turnar and Bijapur upto the eastern limit.
SOUTH : Village Bijapur and Jaitaloor upto the southern limit.
WEST : Village Jaitaloor and Itpal upto the western limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Nagar Palika Parishad Bhavan, Bijapur.

जगदलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1646/न.ग्रा.नि./2016—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्र. 1373/कोन्टा व. भू.उप./न.ग्रा.नि./2016/जगदलपुर दिनांक 03-09-2016 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत जारी सूचना जो छ.ग. राजपत्र भाग-1 में छापने हेतु भेजा गया है जिसमें संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के स्थान पर प्र. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर पढ़ा जावे.

No. 1646/T&CP/2016.—Vide notice No. 1373/Konta E.L.U./T.C.P./2016 Jagdalpur, dated 03 September 2016 Notice is hereby given for the general information of the public that under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) has been given for publishing in Chhattisgarh Rajpatra Part-1 in which Director Town & Country Planning should be readed as Deputy Director Town & Country Planning Jagdalpur.

जगदलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1653/न.ग्रा.नि./2016—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्र. 1380/सुकमा व. भू.उप./न.ग्रा.नि./2016/जगदलपुर दिनांक 03-09-2016 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत जारी सूचना जो छ.ग. राजपत्र भाग-1 में छापने हेतु भेजा गया है जिसमें नगर पंचायत सुकमा स्थान पर ग्राम पंचायत सुकमा पढ़ा जावें एवं पूर्व में नगर पंचायत के स्थान पर पूर्व ग्राम शबरी नदी पढ़ा जावें एवं संचालक ग्राम निवेश के स्थान पर प्रभारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर पढ़ा जावे.

No. 1653/T&CP/2016.—Vide notice No. 1380/Sukma E.L.U./T.C.P./2016 Jagdalpur, dated 03 September 2016 Notice is hereby given for the general information of the public that under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) has been given for publishing in Chhattisgarh Rajpatra Part-1 in which Nagar Panchayat Sukma should be readed as Gram Panchayat Sukma, in East in place of Nagar Panchayat should be readed as East Gram Sabri River and Director Town & Country Planning should be readed as Deputy Director Town & Country Planning Jagdalpur.

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्रमांक/1054/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम डुडिया, मटेवा, माटिया, खैरबना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खैरबना, कांदुल, खपरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खपरी, परसतराई, बोरगहन, मनकी, टेलीटोला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम टेलीटोला, कठिया, डुडिया की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./1054/T&CP/D.P./Arjunda/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Arjunda planning area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Arjunda Planning Area

NORTH	:	Village Dudiya, Matewa, Matiya village Kairbana up to North Boundary.
EAST	:	Village Khairbana, Kandul Village Khapri up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Khapri, Parastarai, Borgahan, Manki Village Telitola up to South Boundary.
WEST	:	Village Telitola, Kathiya village Dudiya up to West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्रमांक/2216/नग्रानि/राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान अम्बागढ़ चौकी/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्र. 888/नग्रानि/राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान अम्बागढ़ चौकी/2016, राजनांदगांव दिनांक 24-05-2016, छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22 जुलाई 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय राजनांदगांव छ.ग. द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अम्बागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम केकतीटोला, मालडोंगरी, मेरेगांव एवं ग्राम केसला की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम केसला, सिर्राभाटा, बोईरडीह एवं ग्राम अम्बागढ़ चौकी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम अम्बागढ़ चौकी, कान्हे एवं ग्राम हाथीकन्हार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम हाथीकन्हार एवं ग्राम केकतीटोला की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, नगर पंचायत, अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, तहसील कार्यालय परिसर, बलदेव बाग रोड, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 2216/T&CP/Rajnandgaon/S.P-A. Chowki/2016.—The existing land use map and register for the Ambagarh Chowki Planning area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), vide notice No. 888 Rajnandgaon, date 24-05-2016 in Chhattisgarh Rajpatra Published on dated 22 July 2016.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Ambagarh Chowki planning area prepared and publised are duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon C.G. under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Ambagarh Chowki Planning Area

NORTH	:	Village Kektitola, Maldongri Meregaon upto the northern limit of Kesla.
EAST	:	Village Kesla, Sirrabhatha, Boirdih upto the eastern limit of Village Ambagarh Chowki.
SOUTH	:	Village Ambagarh Chowki, Kanhe upto the southern limit of hathikanhar.
WEST	:	Village Hathikanhar upto the western limit of kektitola.

That said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :

1. Office of the Nagar Panchayat, Ambagarh Chowki, District-Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Tehsil Office Campus, Baldev Bag Road, District-Rajnandgaon (C.G.).

एल. एल. राठौर,
उप-संचालक.

कार्यालय, वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल, कांकेर

कांकेर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्रमांक/स्था./2016/426.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र./एफ 01-09/2016/10/(भा.व.से.) दिनांक 24-11-2016 के पालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 26-11-2016 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

No. /स्था./2016/426.—Certified that in according with the govt. of Chhattisgarh forest Department Mahanadi Bhawan Naya Raipur Order No. F 01-09/2016/10/(IFS) date 24-11-2016 Shri Amarnath Prasad, (I.F.S.), make over to Shri J. Sriram (I.F.S.)charge of the D.F.O. Kanker on afternoon dated 26-11-2016 that the office receiving charge.

जे. श्रीराम,
वन मण्डल अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd December 2016

No. 841/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The Following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Tanu Shree Gavel, IV Iddl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	I Civil Judge Class-II
2.	Ku. Chetna Thakur, I Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	II Civil Judge Class-II
3.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, VII Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	III Civil Judge Class-II
4.	Ku. Barkha Rani Kasar, II Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	VII Civil Judge Class-II
5.	Ku. Khileshwari Sinha, V Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	IX Civil Judge Class-II
6.	Ku. Amrita, III Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Durg	Durg	Durg	XI Civil Judge Class-II
7.	Shri Ramesh Kumar Chauhan, II Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Korba	Korba	Korba	Civil Judge Class-II.
8.	Shri Lokesh Kumar, VII Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-II
9.	Shri Gulapan Ram Yadav, I Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-II
10.	Ku. Amita Jaiswal, VIII Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-II
11.	Shri Satyanand Prasad, II Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XI Civil Judge Class-II
12.	Ku. Neha Usendi, III Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XII Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Shri Anant Deep Tarkey, IV Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XIII Civil Judge Class-II.
14.	Shri Bhavesh Kumar Watti, V Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XIV Civil Judge Class-II.
15.	Ku. Astha Yadav, III Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	II Civil Judge Class-II
16,	Ku. Apurva Khare, II Addl. Judge to the Court of I C.J.-II.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Civil Judge Class-II
17.	Shri Devashish Thakur, Addl. Judge to the Court of I C.J.-II, Ambikapur.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	IV Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 3rd December 2016

No. 843/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The Following Candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 13-12-2016.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Shri Anshul Verma, S/o Shri Ashok Verma	I Civil Judge Class-II, Raigarh
2.	Shri Alok Pandey, S/o Shri Ravishankar Pandey	III Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
3.	Smt. Shivani Singh, W/o Shri Ramendra Singh Gurjar	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge to the Class-II, Bilaspur.
4.	Shri Anup Tigga, S/o Late Shri Silvester Tigga	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
5.	Ku. Akansha Rathore, D/o Shri Ramkrishna Singh Rathore	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Shri Rahul Sharma, S/o Shri Jawahar Sharma	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
7.	Ku. Aditi Thakur, D/o Shri R.S. Thakur	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
8.	Shri Umesh Kumar Bhagwatkar, S/o Shri Suresh Kumar Bhagwatkar.	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
9.	Shri Krishna Murarai Sharma S/o Shri Ram Baran Sharma	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.

(1)	(2)	(3)
10.	Ku. Smita Shrivastava, D/o Shri Umesh Chandra Shrivastava	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
11.	Shri Lokesh Patle, S/o Shri Narsingh Das Patle	II Civil Judge Class-II, Janjgir
12.	Shri Priyank Rathi, S/o Shri Ramesh Kumar Rathi	III Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
13.	Ku. Kamini Jaiswal, D/o Shri Ayodhya Prasad Jaiswal	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
14.	Ku. Sanjulata Dewangan, D/o Shri Tekmal Dewangan	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
15.	Ku. Bharti Kuldeep, D/o Shri Janak Das Kuldeep	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
16.	Shri Amit Pratap Chandra, S/o Shri Jaynarayan Chandra	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
17.	Ku. Amba Shah D/o Shri Ramcharan Shah	I Civil Judge Class-II, Bemetara
18.	Shri Avinash Toppo S/o Shri Blasius Toppo	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
19.	Ku. Namrata Norge, D/o Shri Hemu Das Norge	II Civil Judge Class-II Jagdalpur
20.	Shri Prashant Kumar Bhaskar S/o Shri P.L. Bhaskar	III Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
21.	Ku. Leenam Bansode D/o Shri Salik Ram Bansode	Civil Judge Class-II, Jashpur
22.	Ku. Swarnlata Rajmani D/o Dr. Rajkumar Rajmani	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
23.	Smt. Sheelu Kesary, W/o Shri Radhakant Kesary	V Civil Judge Class-II Jagdalpur
24.	Smt. Deepti Barwa, W/o Shri Anand Prakash Minj	VI Civil Judge Class-II, Jagdlapur
25.	Ku. Savita Singh D/o Shri Lal Harish Singh	II Civil Judge Class-II, Balod
26.	Shri Sachin Paul Toppo S/o Shri Anthres Toppo	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
27.	Ku. Sheetal Nikunj D/o Late Shri S. R. Nikunj	III Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
28.	Ku. Manjusha Toppo D/o Shri Anthres Toppo	I Civil Judge Class-II, Janjgir
29,	Shri Shankar Kashyap S/o Shri Suksay Kashyap	IV Add. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
30.	Shri Niraj Shrivastava, S/o Shri Kamlesh Kumar Shrivastava	II Civil Judge Class-II, Dantewara

By order of Hon,ble the Chief Justice,
RAMASHANKAR, I/C Registrar General.

Bilaspur, the 9th December 2016

No. 9885/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

1) Ku. Anita Koshima, J.M.S.C., Kawardha
2) Shri Puneet Ram Gurupanch, J.M.S.C., Surajpur
3) Shri Anil Kumar Chauhan, J.M.S.C., Surajpur and
4) Ku. Astha Yadav, J.M.S.C., Surajpur.

Bilaspur, the 9th December 2016

No. 9887/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause(c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers upon (1) Shri Jeetendra Pradhan, J.M.F.C., Dharamjaigarh and (2) Shri Subodh Mishra, J.M.F.C., Sarangarh to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 13th December 2016

No. 874/Confdl./2016/II-2-99/2001 (Pt. III).—On the basis of application dated 19-03-2015 of Ku. Namita Anne Minj, the then II Civil Judge Class-II, Durg presently posted as Civil Judge Class-II, Lormi, District Bilaspur requisting for change of her home town, permission is hereby accorded to change her home district from ‘Raipur’ to ‘Jashpur’ with a direction that in her service records, her home district may be mentioned as as ‘Jashpur/Raipur’.

By order of Hon,ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.